



☎: 0141-2570678, 2569696 (7021,7226,1128)

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: F-4 (583)JDA\ADR&DPD- 1098

दिनांक:- 16-8-19

माह अगस्त 2019, का नीलामी कार्यक्रम(तृतीय)

नीलामी स्थल - नीलामी हॉल जविप्रा, जयपुर

क्र० सं०	योजना का नाम	जोन	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बोली प्रारंभ करने की दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)	अमानता राशि (प्रत्येक भूखण्ड के लिए अलग से देय)	नीलामी दिनांक व समय
1	खसरा नम्बर 202 से 210 एवं 204/503, 210/504 ग्राम भोजपुरा, लालकोठी योजना	3	आवासीय भू.सं. 13 15	319.63 411.51	70,000/-	10,00,000/-	26.08.2019 11.00 A.M.
2	खसरा नम्बर 202 से 210 एवं 204/503, 210/504 ग्राम भोजपुरा, लालकोठी योजना	3	आवासीय भू.सं. 11 14	428.24 278.00	70,000/-	10,00,000/- 5,00,000/-	27.08.2019 11.00 A.M.

- नीलामी की मुख्य शर्तों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखें।
- नीलामी के उपर्युक्त भूखण्डों का मौका अवलोकन और अन्य जानकारी के लिए श्री सुरेश माथुर, अधिशाषी अभियन्ता मोबाईल नम्बर 9414047222 एवं श्री धर्मेन्द्र शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता मोबाईल नम्बर 9887515154 पर सम्पर्क करें।

विशेषाधिकारी
(संसाधन विकास)

नीलामी की मुख्य शर्तें- (1) अमानत राशि बोली से पूर्व राशि रुपये 5,00,000.00/रुपये एवं 10,00,000.00/रुपये (विज्ञापन के अनुसार) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पक्ष में डी.डी./पे- ऑर्डर के रूप में जमा करानी होगी, सफल बोलीदाता की समायोजन योग्य। (2) नजराना राशि की कुल राशि के 15 प्रतिशत राशि (अमानता राशि को समायोजित करते हुए), 24 घण्टे में एवं शेष राशि मांग पत्र के 30 दिन में जविप्रा के खाते में जमा कराना अनिवार्य है। यह राशि नकद, डीडी, **RTGS/NEFT** के माध्यम से भी जमा कराई जा सकती है। इस प्रकार राशि जमा नहीं होने पर भूखण्ड के प्रति जमा राशि जब्त करते हुए नीलामी निरस्त कर दी जावेगी। (3) बोलीदाता को पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति जमा करानी होगी। (4) भूखण्ड नियमानुसार शहरी जमाबन्दी के आधार पर विक्रय होंगे। (5) आवासीय भूखण्डों (300 वर्ग मीटर से अधिक) 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, वाणिज्यिक भूखण्डों पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं निर्मित दुकानों पर 20/- प्रति फीट की दर से **BSUP (Shelter) Fund** चार्ज अतिरिक्त देय होंगे (6) मोबाइल फोन पर प्रतिबंध। (7) बोली 50/- रु के गुणक में स्वीकार होगी। (8) अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाने के लिये नोटरी से प्रमाणित अधिकार पत्र तथा फर्म के लिये संविधान/रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित दस्तावेज अनिवार्य (9) बोली स्वीकार करने से पूर्व किसी भी सम्पत्ति की नीलामी को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार जयपुर विकास आयुक्त में निहित होगा। (10) सम्पत्ति “जहाँ है जैसी है” के आधार पर नीलाम (11) भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर उपलब्धता के अनुसार घट-बढ़ सकता है। (12) बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि बोली लगाने से पूर्व कृपया स्थल निरीक्षण कर लेवे। (13) प्रचलित नियम एवं शर्तें लागू।